पत्रांक–02 / यो0–5008 / 2025–

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन),बिहार,पटना

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार,
(ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–01, दिनांक–

विषयः–"**निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता**" योजना के तहत जिलों में दिव्यांग बेरोजगारों के लिए कैम्प का आयोजन एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में विशेष दिवस मनाये जाने एवं विशेष नियोजन मेला का आयोजन निमित्त योजना का वर्ष 2025–26 में ₹30,00,000 (रूपये तीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः–**स्वीकृत**।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹30,00,000 (रूपये तीस लाख) मात्र के व्यय पर वित्त विभाग के बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम 2025 पत्रांक–संख्या–ब–15 / बी०एस०जी०–12 / 2025–227 / (वि०) दिनांक–28.03.2025 तदनुसार प्रशासी विभाग (श्रम संसाधन) के ज्ञापांक–1173 दिनांक–04.04.2025 द्वारा प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत "**निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता**" स्कीम के तहत जिलों में दिव्यांग बेरोजगारों के लिए नियोजन सहायता कैम्प / सेमिनार / कार्यशाला इत्यादि का आयोजन एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के आलोक में विशेष दिवस मनाये जाने निमित्त योजना स्वीकृति संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है।

2. इस योजनान्तर्गत दिव्यांग जन कल्याण हेतु संचालित सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, दिव्यांग जन के स्वरोजगार हेतु संचालित सरकारी योजनाओं तथा दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरी में मिलने वाले विशेष लाभ इत्यादि की जानकारी / विशेषज्ञ मार्गदर्शन हेतु नियोजन सहायता कैम्प / सेमिनार / कार्यशाला / विशेषज्ञ मार्गदर्शन कैम्प इत्यादि के आयोजन एवं प्रचार–प्रसार पर राशि का व्यय किया जाएगा। उक्त आयोजन में जिला / प्रमण्डल के निःशक्त जनों के कल्याण के लिए कार्यरत अन्य विभाग के पदाधिकारी एवं विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।

3. इस योजना के अंतर्गत व्यय मुख्य शीर्ष–"2230–श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष–02–रोजगार सेवाएँ, समूह शीर्ष–राज्य योजना, लघु शीर्ष–101–रोजगार सेवाएँ मांग सं0–26, उप शीर्ष–0113 "निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता" विपत्र कोड संख्या–26-2230.02.101.0113 के अंतर्गत व्यय हेतु विषय शीर्ष–"0113.20.02–कॉन्फरेंश, कार्यशाला, सेमिनार मद में उपबंधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए विकलनीय होगा।

4. यह चालू योजना है। गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में इसकी स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–905 दिनांक–19.06.2024 द्वारा दी गई है।

5. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान यथा सहायक निदेशक (नियोजन) / जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी होंगे।

6. इस योजना हेतु आवश्यक उद्व्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।

7. प्रस्ताव में सचिव का अनुमोदन संचिका सं0–02 / यो0–5008 / 2025 के पृ0–05 / टि0 पर प्राप्त है।

कृ0पृ0उ0

8. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–02 / यो0–5008 / 2025 पृ0– ..09.. / टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञाप संख्याः–02 / यो0–5008 / 2025– पटना–01, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, / सभी उप निदेशक (नियोजन) / सभी सहायक निदेशक, विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय सहित / सभी जिला नियोजन पदाधिकारी / सभी नियोजन पदाधिकारी / मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञाप संख्याः–02 / यो0–5008 / 2025–519 पटना–01, दिनांक–22/5/2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

22.5.25
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग